भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 103
21.06.2019 को उत्तर के लिए
वायु प्रदूषण की निगरानी

103. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण की नियमित निगरानी की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन शहरों में प्रदूषण के उच्च स्तर सर्दियों में कोहरे का कारण बनते हैं, उनमें वायु प्रदूषकों के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) जिन क्षेत्रों में अधिकांशतः वायु प्रदूषण का उच्च स्तर पाया जाता है, उनमें विशेष रूप से सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) : राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के तहत देश भर में 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 339 शहरों/कस्बों को शामिल करते हुए 779 अवस्थानों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। दस लाख से अधिक आबादी वाले 43 शहरों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता का विश्लेषण दर्शाता है कि SO_2 स्तर, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) के भीतर थे। NO_2 के संबध में 9 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान दिखाई पड़ा है, 10 शहरों में घटता हुआ सांद्रण दिखाई पड़ा है और 24 शहरों में घटता-बढ़ता हुआ सांद्रण दिखाई पड़ा है। PM_{10} के संबंध में, 9 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान दिखाई पड़ा है, 5 शहरों में घटता हुआ सांद्रण दिखाई पड़ा है और 29 शहरों में घटता-बढ़ता रुझान दिखाई पड़ा है। $PM_{2.5}$ के संबंध में 15 शहरों का रुझान उपलब्ध है और 15 शहरों में से 05 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान है, 03 शहरों में घटता हुआ सांद्रण दिखाई पड़ा है, 07 शहरों में घटता-बढ़ता हुआ रुझान दिखाई दिया है।

(ख) और (ग) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में विशेष रूप से सर्दी के महीनों/दिवाली के दौरान विविक्त कण के संबंध में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर दिखाई दिए हैं। केंद्रीय सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

जारी...2/-

योजनाएं और निदेश

- दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए अभिज्ञात कार्य-कलापों हेतु समय-सीमाएं और कार्यान्वयन एजेंसी को अभिज्ञात करते हुए व्यापक कार्य योजना।
- केंद्रीय क्षेत्र की "प्रदूषण नियंत्रण" योजना के तहत देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्र-स्तरीय कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की गई है।
- एनसीएपी के तहत शहर विशेष की कार्य-योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने हेतु 102 ऐसे शहरों को अभिज्ञात किया गया है जहां वायु की गुणवत्ता परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रेडिड रिस्पांस कार्रवाई योजना अधिसूचित की गई है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 18 (1) (ख) के तहत दिल्ली और एनसीआर सहित प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के उपशमन हेतु 42/31 उपायों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक तौर पर निदेश जारी किए गए हैं जिनमें वाहनजनित उत्सर्जनों, सड़क के धूल-कणों और बाहरी उत्सर्जनों का री-सस्पेंशन, बायोमास/नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस कार्य-कलाप तथा अन्य सामान्य उपाय शामिल हैं।

निगरानी

- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से अक्तूबर, 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन।

परिवहन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के अन्य भागों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानक अपनाना।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि) की शुरूआत करना।
- सड़कों पर वाहनों की अधिकता के कारण भीड़-भाड़ को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और सड़कों में सुधार तथा और ज्यादा पुलों का निर्माण।
- दिल्ली से अ-लक्षित वाहनों के मार्ग को अपवर्तित करने हेतु पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रचालन।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने को व्यवस्थित बनाना।

उद्योग

- 15 अक्तूबर, 2018 से बदरपुर ताप विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में सभी ईंट-भट्टों को मिश्रित प्रौद्योगिकी अपनाने का निदेश दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में रेड श्रेणी के सभी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानको में संशोधन।

जारी....3/-

बायोमास और ठोस अपशिष्ट

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरु की गई है।
- बायोमास के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
- दिल्ली में इस समय 5100 टन प्रति दिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले (डब्ल्यू-टी-ई) संयंत्र प्रचालित हैं।
- वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं।

धूल-कण

- निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
- दिल्ली में मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है और वर्तमान में सड़कों की सफाई के लिए 60 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

जन-संपर्क अभियान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार ने 10-23 फरवरी, 2018 के दौरान दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान की शुरूआत की थी और दिवाली से पहले और उसके बाद 1 नवंबर, 2018 से 10 नवंबर, 2018 के दौरान वायु प्रदूषणकारी कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु "स्वच्छ वायु अभियान" नामक एक विशेष अभियान आरंभ किया था।
- मंत्रालय द्वारा हरित अच्छे कार्यों, जिनमें साईकिल की सवारी करने, जल और बिजली बचाने, पेड़ उगाने, वाहनों का उचित अनुरक्षण करने, सड़कों पर लेन अनुशासन का पालन करने तथा कार पूलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है, के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी और नागरिकों में जागरुकता सृजन अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जन-शिकायतों के समाधान हेतु ('समीर ऐप', ई-मेल (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्कों' (फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से) एक तंत्र विकसित किया गया है।

****